कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015

दूरभाष :–0612–2215895, वेबसाइट–krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

पत्र संख्या–6 / स्था0कोर्ट–84 / 2017 / कृ0, पटना, दिनांक– , 2019

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम।

विषय :– **श्री कमला प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सासाराम का सेवापुस्त उपलब्ध कराने तथा पेंशन निर्धारण एवं बकाया भुगतान के संबंध में।**

प्रसंगः– **कृषि निदेशालय का पत्रांक–438 दिनांक 06.08.2019 एवं पत्रांक–731 दिनांक 07.11.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रखंड विकास पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास के प्रासंगिक पत्रांक–1092 दिनांक 01.07.2019 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि आवेदक श्री कमला प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, सासाराम (रोहतास) की सेवापुस्त में अंकित उनकी जन्म तिथि दिनांक 24.03.1946 के आधार पर वे दिनांक 31.03.2004 को सेवानिवृत्त हुए होंगे तथा महालेखाकार कार्यालय के पी0पी0ओ0 नं0–371643 (प्रोभिजनल) में उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.03.2004 का उल्लेख करते हुए उनका पदनाम सेवानिवृत्त प्रखंड विकास पदाधिकारी बताया गया है। फिर भी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम का पत्रांक–1092 दिनांक 01.07.2019 में उनको सेवानिवृत्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी बताते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.03.2014 बतायी गई है, जो तथ्यात्मक प्रतीत नहीं होता है। आवेदक श्री सिंह को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–5441 / 2017 श्री कमला प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 07.05.2019 के अनुपालन में आवेदक श्री सिंह के देय पावनाओं का नियमानुसार भुगतान किया जाना है। आवेदक श्री सिंह कृषि विभाग के कार्यालय से सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, बल्कि वे प्रखंड विकास पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास के कार्यालय / स्थापना से सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में श्री सिंह के देय पावनाओं का भुगतान भी संबंधित कार्यालय द्वारा ही किया जाना है। श्री सिंह के सेवापुस्त एवं अन्य अभिलेखों की खोजबीन की जा रहा है, जहॉ जैसे ही उनका मूल सेवापुस्त प्राप्त होगा वैसे ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायगी। श्री सिंह से प्राप्त उनकी सेवापुस्त की छायाप्रति की प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा भेजा जा चुका है।

अतः वर्णित उपरोक्त स्थिति में आपसे आग्रह है कि कृपया माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–5441 / 2017 श्री कमला प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 07.05.2019 के आलोक में श्री सिंह से प्राप्त उनकी सेवापुस्त की छायाप्रति की प्रति के आधार पर, आवश्यक हो तो उसको अद्यतन रूप से संधारित कराकर श्री सिंह के सभी देय पावनाओं का नियमानुसार भुगतान कराते हुए अनुपालन भुगतान प्रतिवेदन की प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / –

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रभारी पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष– श्रीमती निवेदिता रॉय, उप निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव 9431818815

D:\ALL File Section -06\2019 All File\Randhir\Section- 06 (November) - 2019\19.11.2019.docx

ज्ञापांक – 787 कृ0, पटना, दिनांक– 21-11-2019

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम (रोहतास)/संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/श्री कमला प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त प्रखंड विकास पदाधिकारी सम्प्रति द्वारा श्री द्वारिका भवन, दिवान मोहल्ला, बागपाटो, पटना सिटी, पटना 800008 (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2 आई०टी०मैनेजर कृषि विभाग संबंधित को ई–मेल करने हेतु सम्प्रेषित।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

प्रभारी पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष– श्रीमती निवेदिता रॉय, उप निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव 9431818815

D:\ALL File Section -06\2019 All File\Randhir\Section- 06 (November) - 2019\19.11.2019.docx